

1 D

2018/00138

रिपोर्ट पटवारी व जांच मू0अ0निरी0

महोदयजी, पायी का नाम ग्राम उमा का खेडा में जमाबन्दी सन् 2071-74 खाता सं. 120 में रामदेव चमार भूमि है, जबकि आधार रसि में रामदेव बैरवा भूमि है, अतः मुरखिड आधार कार्ड के पायी का नाम रामदेव चमार की बजाय रामदेव बैरवा करना उचित है।

(Signature)
प्र.मालीखडा
(Signature)
र.र. र.र. र.र.

रिपोर्ट तहसीलदार फूलियाकलां

राजस्व लोक अदालत अनियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

रिपोर्ट पटवारी एवं ITR जांच के संशोधन मौजूद हैं और स्वीकार्य मौजूद हैं। रिपोर्ट गंजन करें।

तहसीलदार

फूलियाकलां, जिला-भीलवाड़ा

प्र.सं. 146/18 अ.पत्र राजस्व लोक अदालत अनियान आदेश सं. 20-घ.पत्र दि. 15-5-18
"न्याय आपके द्वार-2018"

इस रिपोर्ट तहसीलदार प्र.मालीखडा के ग्राम उमा का खेडा में जमाबन्दी सन् 2071-74 के खाता सं. 120 में है रामदेव चमार के बजाय रामदेव बैरवा है इसे सही का आदेश दिया जाना है।

प्र.मालीखडा तहसीलदार, फूलियाकलां को अंगूठा देना।



उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक डी.ओ.
फूलियाकलां, जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा